mRrj izns'k uxj fuxe vf/kfu;e] 1959

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959)

¼mRrjk[k.M esa ;Fkk izo`Rr ,oa ;Fkk la'kksf/kr½

के प्राविधानों का उद्धरण

3- ogRrj uxjh; {ks= dh ?kks"k.kkA

6- fuxe dh lajpukA

6&d- d{k lfefr;ksa dk lxBu vkSj lajpukA

7- LFkkuksa dk vkj{k.kA

8- fuxe dk dk;Zdky&(1) कोई निगम जब तक उसे धारा 538 के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाय, अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक के 5 वर्ष तक, न कि उससे अधिक, बना रहेगा।

9- ¼fuxe½ ds lxBu dh foKfIr&किसी नगर की (निगम) के लिए सभासदों तथा नगर–प्रमुख के निर्वाचन पूरे हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी कि उक्त नगर की(निगम) यथावत् संगठित हो गयी है।

uxj izeq[k rFkk mizuxj izeq[k

10- mizuxj&izeq[k&(1) प्रत्येक (निगम) के लिए एक उप नगर प्रमुख होगा।

11- uxj&izeq[k rFkk mizuxj&izeq[k ds in ds fy, fuokZpu dh vgZrk,a&(1) कोई भी व्यक्ति नगर प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिए अर्ह न होगा–

(क) यदि वह नगर में निर्वाचक नहीं है,

(ख) यदि उसकी आयु तीस वर्ष की नहीं हो गई है,

(ग) यदि वह धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभासद के रूप में निर्वाचित होने के निमित्त अनर्ह है; अथवा

(घ) यदि वह सभासद के किसी स्थान के लिए निर्वाचन में हार चुका हो और उस निर्वाचन का फल घोषित होने के दिनांक के पश्चात् छः महीने व्यतीत न हो गये हों।

(2) (*****)

(3) कोई व्यक्ति जो (निगम) का (सभासद) नहीं है, उपनगर–प्रमुख के पद पर निर्वाचन के 43–ए के लिए पात्र न होगा।

11&d- uxj&izeq[k dk fuokZpu&(1) नगर–प्रमुख का निर्वाचन नगर में निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

(2) धारा 16 में यथाउपबन्धित के सिवाय अपने पद से हटने वाला नगर–प्रमुख पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

(3) किसी सभासद के निवार्चन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) नगर प्रमुख के निर्वाचन के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगर–प्रमुख और सभासद दोनों रूप में या किसी उप चुनाव में सभासद के रूप में या किसी उप चुनाव में सभासद के रूप में होने पर नगर–प्रमुख निर्वाचित होता है, तो वह नगर–प्रमुख के रूप में अपने निव्रचन के दिनांक से सभासद नहीं रह जायेगा।

12- mizuxj&izeq[k dk fuokZpu&¼(1) उपनगर प्रमुख, यथास्थिति, सभासदों का निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात् या नगर प्रमुख की पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र निर्वाचित किया जायेगा।)

क्रमश.......................2

(2) (*****)

(3) उपनगर–प्रमुख सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और ऐसे निर्वाचन में मतदान गूढ़ श्लाका द्वारा होगा।

(4) यदि उपनगर–प्रमुख, नगर प्रमुख के पद पर निर्वाचित हो गया हो तो उपनगर–प्रमुख के पद की रिक्ति उस दिनांक से होगी, जब से वह नगर–प्रमुख का पद ग्रहण करें।

(5) धारा 47 के उपबन्ध यथासम्भव उपनगर प्रमुख के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

13. सभासदों का निर्वाचन कब पूर्ण समझा जोयगा–उपनगर–प्रमुख के निर्वाचन के प्रयोजन के निमित्त सभासदों का निर्वाचन किसी स्थान के अपूरित रहने पर भी, पूर्ण समझा जायगा यदि धारा–6 के अधीन निश्चित सभासदों की कुल संख्या की कम से कम चतुष्पंचमांश (विनत पिजी) संख्या पूरी हो गई हो।

14. नगर–प्रमुख अथवा उपनगर–प्रमुख के पदों की आकस्मिक रिक्ति–यदि नगर–प्रमुख तथा उपनगर–प्रमुख की मृत्यु अथवा उनके पद–त्याग अथवा किसी कारण से उनके पद रिक्त हो जायें तो यथास्थिति नगर–प्रमुख अथवा उपनगर–प्रमुख का निर्वाचन तत्पश्चात् यथाशीघ्र (धारा 11–क में या, यथास्थिति धारा 12 में) उपबंधित रीति से होगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी शेष पदावधि दो महीने अथवा उससे कम की है तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी जब तक कि (निगम) अन्यथा संकल्प न करे।

24. सभासद के निर्वाचन के लिये अर्हतायें–कोई व्यक्ति सभासद के रूप में चुने जाने के लिये और सभासद होने के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह–

(क) नगर का निर्वाचक न हो,

(ख) 21 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो, तथा

(ग) स्थान के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों या स्त्रियों के लिये आरक्षित होने की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित श्रेणी का नहीं है।

25.सभासदों की अनर्हताएँ–(1) कोई भी व्यक्ति, इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है, (सभासद) चुने जाने तथा होने के लिए अनर्ह होगा, यदि–

(क) उसे इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व अथवा पश्चात् भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो, तथा उसे दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास का दंड दिया गया हो, जब तक कि उसके छूटने के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, व्यतीत न हो गई हो,

(ख) वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो,

(ग) वह (निगम) लाभ के किसी पद पर हो,

(घ) वह राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, अथवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट कौंसिल अथवा अतिरिक्त या सहायक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट कौंसिल अथवा अवैतनिक मैजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुन्सिफ अथवा अवैतनिक असिस्टेन्ट कलेक्टर हो,

(ड.) वह चाहे स्वयं, चाहे उसके लिए न्यासी के रूप में अथवा उसके लाभ के लिए या के लेखे में किसी व्यक्ति द्वारा (निगम) को माल सम्भरित करने के लिए या किसी निर्माण–कार्य के निष्पादन के लिए किन्हीं सेवाओं को, जिनका भार (निगम) ने अपने ऊपर लिया हो, सम्पन्न करने के लिए किये गये किसी संविदे में कोई हिस्सा (share) या हित (interest) रखता हो,

क्रमश.....3

(च) वह (निगम) को देय ऐसे कर के जिन पर धारा 504 लागू होती है अथवा ऐसे मूल्य के, जो (निगम) द्वारा दिये गये पानी के लिये देय हो एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार हो,

(छ) यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करके भ्रष्टाचार अथवा राजद्रोह के लिए पदच्युत हो चुका हो, जब तक कि उसके पदच्युत होने के दिनांक से (छः वर्ष) की अवधि न व्यतीत हो गयी हो,

(ज) वह किसी सक्षम प्राधिकरी की आज्ञा से वकालत करने के लिये विविर्जित कर दिया गया है,

(झ) वह इस अधिनियम की धारा 80 तथा 83 के अधीन (निगम) का सदस्य होने के लिये अनर्ह है,

(ञ) वह किसी ऐसे संसर्गजन्य रोगों में से किसी से ग्रस्त है, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे और (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) से अन्यून पद के किसी चिकित्साधिकारी (medical officer) ने उस रोग को असाध्य (incurable) घोषित कर दिया हैः

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड (च) की दशा में बकाया अदा कर देने पर तुरन्त अनर्हता समाप्त हो जायेगीः

और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी कर अथवा पानी के मूल्य का बकाया जो उस क्षेत्र, जिसको अब (नगर अधिसूचित कर दिया गया है), में क्षेत्राधिकार रखने वाली (नगर पालिका परिषद) अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय हो, उसको (निगम) का बकाया समझा जायेगा।

(ट) राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अनर्ह होः

(ठ) ''उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रतृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात् हुआ है'' या

(ड) ''महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है'' या

(ढ़) ''किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है'' या

(ण) ''किसी ऐसी संस्था, जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है'' या

(त) ''यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगर पालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है
अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है या

(थ) ''नगर पालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग से संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है'' या

(द) ''नगर पालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियां, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगर पालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो।''

"(ध) वह एक से अधिक वार्ड के लिये अभ्यर्थी हो"।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो,

(2) (* * *)

(3) (* * *)

(4) कोई व्यक्ति सभासद चुन लिये जाने पर सभासद बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह–

क्रमश.....4

(1) स्वयं अथवा किसी ऐसे फर्म के नाम से, जिसमें वह साझीदार है, अथवा जिसके साथ वह वृत्तिक हैसियत से लगा हुआ है, किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के सिलसिले में जिसमें (निगम) अथवा मुख्य नगराधिकारी का कोई हित या सम्बन्ध है (interested or concerned) व प्रवृत्तिक हैसियत (professional capacity) से रोक रखा जाता है अथवा नियोजित किया जाता है, अथवा

(2) बीमारी अथवा (निगम) द्वारा स्वीकृत अन्य किसी कारण से अनुपस्थिति को छोड़कर (निगम) के अधिवेशनों में लगातार छः महीने तक अनुपस्थित रहता है।

(5) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिये अनर्ह हुआ न समझा जायगा कि वह–

(1) कोई पेंशन पाता है,

(2) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख या सभासद के रूप में काम करते हुए कोई भत्ता या सुविधा पाता है।

(6) उपधारा(1) के खण्ड (ड.) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिये अनर्ह हुआ न समझा जायेगा कि उसका निम्नलिखित में कोई हिस्सा या हित है–

(1) कोई संयुक्त सम्भार समवाय (joint stock company) अथवा (उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965) के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत समझी गयी कोई समिति, जिससे (निगम) की ओर से मुख्य नगराधिकारी संविदा करेगा अथवा जिसे वह नियोजित करेगा,

(2) (निगम) के लिए मुख्य नगराधिकारी को बेची जाने वाली किसी ऐसी वस्तु प्रायिक (occasional) विक्रय में जिसमें वह किसी कलेंडर वर्ष में कुल मिलाकर 2000 रू0 से अनधिक मूल्य का नियमित रूप से व्यापार करता है।

¼7½ कोई व्यक्ति जो सभासद के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात् इस धारा के अधीन अनर्ह हो जाय, सभासद नहीं रह जायेगा और उसका स्थान ऐसी अनर्हता होने के दिनांक से रिक्त हो जायेगा।

27- lHkklnk dk fuokpu&¼1½ सभासदों का निर्वाचन इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बने नियमों के अनुसार प्रौढ़ मताधिकार प्रणाली के अनुसार होगा।

(2) अपने पद से हटने वाला सभासद पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

d{kk dk ifjlheu

31-d{kk dh 0;oLFkk&(1) सभासदों के चुनाव के प्रयोजनार्थ धारा 32 में दी हुई रीति से (प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र) को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बाटा जायेगा जो कक्ष कहे जायेंगे) और प्रत्येक कक्ष के पृथक निर्वाचक नामावली होगी।

(2) प्रत्येक कक्ष का प्रतिनिधित्व, निगम में एक सभासद द्वारा किया जायेगा।

क्रमश.....................5

fuokpd rFkk fuokpd ukekoyh

35- iR;sd d{k d fy;s fuokpd ukekoyh&प्रत्येक कक्ष के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जायेगी।

36- fuokpdksa dh vgZrk,a&धारा 37 और 38 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जो कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र होगा।

Li"Vhdj.k&(एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि कक्ष के क्षेत्र में उसका किसी निवास–गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह समझ लिया जायेगा कि वह किस क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(दो) मामूली निवास–स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायगा कि वह वहॉ मामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

(तीन) संसद् या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कक्ष के क्षेत्र में अनुपस्थित रहने मात्र के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिवारित नहीं समझा जायेगा।

(चार) यह निश्चिय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय, किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें विहित किया जाय, विचार किया जायेगा।

(पांच) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहॉ का निवासी है तो उस वस्तु का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायेगा।

37- fuokpdksa dh vuqZrk,a&(1) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में पंजीयन के लिए अनर्ह होगा, यदि वह–

(एक) भारत का नागरिक न हो, या

(दो) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या

(तीन) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

(2) किसी व्यक्ति, जो पंजीयन के पश्चात् उपर्युक्त रूप से अनर्ह हो जाता है, का नाम उस कक्ष की उस निर्वाचक नामावली से जिसमें उसका नाम लिया है, तुरन्त ही काट दिया जायेगाः

(3) किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन किसी अनर्हता के कारण किसी व्यक्ति का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली से काट दिया जाता है तो उक्त नामावली के प्रचलित रहेने (inforce) की अवधि में, इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उक्त अनर्हता निवारण को प्राधिकृत करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन उपर्युक्त अनर्हता निवारण को प्राधिकृत कर दिये जाने पर उसे तुरन्त पुनः दर्ज कर लिया जायेगा।

क्रमश.....6

38- iath;u ,d d{k rFkk ,d LFkku e gkuk& (1) कोई भी व्यक्ति एक ही नगर में एक से अधिक कक्षों के लिये निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत होने का पात्र न होगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन का पात्र न होगा यदि उसका नाम किसी अन्य नगर या किसी (लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र, छावनी या ग्राम पंचायत) से सम्बन्धित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

39- fuokpd ukekoyh dh r;kjh vkj idk'ku& ¼1½ राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नाम–निर्दिष्ट करे।

(3) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन पर, इस अधिनियम के, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के, अनुसार किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्धन या सुधार के अधीन रहते हुए, वह इस अधिनियम के अनुसार तैयार की गयी कक्ष की निर्वाचक नामावली होगी।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त विधान सभा की सूची को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अनुसार अपना सकता है जहॉ तक उसका सम्बन्ध उस कक्ष के क्षेत्र से होः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली में, ऐसे कक्ष के लिए नाम–निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या सुधार को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(5) जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन–पत्र पर या स्वप्रेरण से, ऐसी जॉच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधन हो जाय कि निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धित किया जाना चाहिए, वहॉ वह इस अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति, सुधार, निष्कासन या परिवर्धन करेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा कोई सुधार, निष्कासन, या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिये नाम–निर्देशन होने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, नहीं किया जायेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं किया जायेगा।

(6) निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने, निष्कासित करने, या सुधर करने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे समय

क्रमश.....7

के भीतर और ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत की जायेगी।

40- fuokpd ukekoyh dk iqujh{k.k&राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह सामान्य या उप–निर्वाचन के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे, सभी कक्षों की या किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष की निर्वाचक नामावली, जैसा कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस प्रकार निदेशित पुनरीक्षण पूरा न हो जाये।

41- fuokpdksa rFkk fuokpd ukekofy;ksa ls lEc) vU; fo"k;&जहां तक निम्नलिखित विषयों में से किसी के संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्ध न किया जाय, राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली से सम्बद्ध निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में आज्ञा द्वारा उपबन्ध बना सकता है, अर्थात्–

(क) दिनांक, जब इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार तैयार की गई निर्वाचक नामावलिया और बाद में तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां प्रवृत्त होंगी तथा उसके प्रवर्त्तन की अवधि,

(ख) सम्बद्ध निर्वाचक (elector) के प्रार्थना–पत्र पर निर्वाचक नामावली की किसी वर्तमान प्रविष्टि को ठीक करना,

(ग) निर्वाचक नामावली में लिपिक अथवा मुद्रण सम्बन्धी गलतियों को ठीक करना,

(घ) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्वाचक नामावलियों में बहुत से नाम छूट जाने की दशा में उनमें सुधार करना,

(ड.) निर्वाचक नामावलियों में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज करना–

(1) जिसका नाम कक्ष से सम्बद्ध क्षेत्र की विधान सभा की सूचियों में है, परन्तु कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, अथवा जिसका नाम गलती से किसी अन्य कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज कर लिया गया है, अथवा

(2) जिसका नाम विधान सभा की सूचियों में दर्ज नहीं है। परन्तु जो अन्यथा कक्ष की निर्वाचक नामावली में पंजीयन के लिए अर्ह है।

(च) ऐसे व्यक्तियों के नामों का अपवर्जन जो पंजीयन के लिये अनर्ह हैं,

(छ) ऐसे व्यक्तियों का अभिलेख रखना जो मत देने के लिये अनर्ह हैं,

(ज) नामों के समावेश तथा अपवर्जन के निमित्त प्रार्थना–पत्र पर देय शुल्क,

(झ) (* * *)

(च) सामान्यतः निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा उसे प्रकाशित करने से सम्बद्ध सभी विषय।

ernku

42- er nus dk vf/kdkj&(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उस कक्ष में मत देने का अधिकारी नहीं होगा तथा इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से उपबंधित दशा को छोड़कर प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, उस कक्ष में मत देने का अधिकारी होगा।

क्रमश.....8

(2) कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष के किसी निर्वाचन में मत नहीं दे सकेगा यदि वह धारा 37 में उल्लिखित अनर्हताओं में से किसी के अधीन है।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी सामान्य निर्वाचन में (निगम) के एक से अधिक कक्षों में मतदान नहीं करेगा, और यदि वह उक्त किसी एक से अधिक कक्षों में मतदान करता है, तो सभी कक्षों में उसके मत शून्य हो जायेंगे।

(4) इस बात के होते हुए भी कि किसी निर्वाचक का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार दर्ज हो गया है, वह व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा और यदि वह मतदान करता है, तो उस कक्ष में उसके सभी मत शून्य हो जायेंगे।

(5) यदि कोई व्यक्ति कारावास की, निर्वासन की अथवा अन्य किसी प्रकार का दंडाज्ञाा के अधीन किसी कारावास में बन्द है अथवा पुलिस की वैध अभिरक्षा (lawful custody) में है, तो वह मतदान नहीं करेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उप धारा में कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अन्तर्गत निवारक निरोध (preventive detention) के अधीन होगा।

44- ernku dh jhfr&किसी कक्ष के प्रत्येक निर्वाचन में, जहां मतदान लिया जाय, मत गूढ़ शलाका (secret ballot) अथवा वोटिंग मशीन द्वारा दिये जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (proxy) द्वारा नहीं लिया जायेगा।

fuokpuk dk lpkyu

45- fuokpuk d lpkyu dk v/kh{k.k] vkfn& (1) निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए धारा 39 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) निगम के नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

(3) ''राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाऐं जैसा आवश्यक समझे, का शपथ–पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिए खण्ड (ग) तथा (ड) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगाः–

(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया है? दोषमुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है?

(ख) नामांकन भरने से छः माह पूर्व क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है, व मामले में अरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, का विवरण,

(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैंक बैलेन्स आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना,

(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण

क्रमश.....9

(ड) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण

(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित

(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण

(ज) उसकी आयकर तथा भूमि–भवन कर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण

(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।

46- fuokpuk d lpkyu lEcU/kh vkn'k&किसी मामले के सम्बन्ध में, जहां तक इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध नहीं बनायें गये हैं, (राज्य निर्वाचन आयोग) आदेश द्वारा नगर प्रमुख सभासदों के स्थानों के निर्वाचनों से सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था.....

48- fuokpu vijk/k

49- flfoy U;k;ky;k dh vf/kdkfjrk ij jkd

50- fuokpu vkj fjfDr d fy; vf/klpuk& (1) किसी निगम के गठन के या पुनर्गठन के प्रयोजना के लिए एक सामान्य निर्वाचन कराया जायेगा।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक को जिसकी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सिफारिश की जाये, नगर में सभी कक्षों को, इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अनुसार सभासदों और नगर प्रमुख का निर्वाचन करने की लिए, आहूत करेगी।

(2–क) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, धारा 12 के अधीन उप–नगर प्रमुख के निर्वाचन के लिये एक या उससे अधिक दिनांक नियत करेगी और सभासदों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उप–नगर प्रमुख का निर्वाचन करने के लिए, आहूत करेगी।

(3) यदि मृत्यु या त्याग–पत्र या किसी अन्य कारण से नगर प्रमुख, उप–नगर प्रमुख या किसी सभासद के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है, तो , यथास्थिति ऐसा पद या स्थान राज्य सरकार द्वारा, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा रिक्त घोषित कर दिया जायेगा।

(4) जब कोई पद या स्थान रिक्त घोषित कर दिया गया हो तो राज्य निर्वाचन आयोग सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सम्बन्धित कक्ष या, यथास्थिति, सभासदों को इस अधिनियम के उपबन्धों और इसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अनुसार ऐसी रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, ऐसे दिनांक के पूर्व, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने के लिए आहूत करेगा।